डीजी-परिपत्र संख्या- 17 /2019

ओ०पी० सिंह
आई०पी०एस०

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः अप्रैल 09 ,2019

विषयः- एसिड अटैक की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि अवांछनीय तत्वों द्वारा तेजाब के प्रयोग से बच्चियों/महिलाओं को गम्भीर रूप से शारीरिक क्षति पहुँचाने की बढ़ती प्रवृत्ति को सख्ती से नियन्त्रित करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु समय-समय पर शासन एवं इस मुख्यालय से पूर्व में पार्श्वंकित परिपत्र निर्गत कर कठोर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है, परन्तु बार-बार ऐसी घटनायें घटित होने से प्रतीत होता है कि निर्गत निर्देशों का सम्यक रूप से कठोरता से अनुपालन नही किया/कराया जा रहा है।

शासनादेश संख्याः-210/छः-पु-15-2016 दिनांक 14.06.16
शासनादेश संख्याः-1716/60-3-15-13(11)/14-टीसी-2 दि0 09.10.15
शासनादेश संख्याः-एससी-06(1)/छः-पु-9-13-31(90)/2010 दि0 16.10.13
डीजी परिपत्र संख्या-13/2013 दिनांक 17.04.2013
डीजी परिपत्र संख्या-20/2014 दिनांक 04.04.2014
डीजी परिपत्र संख्या-52/2014 दिनांक 14.08.2014
डीजी परिपत्र संख्या-20/2015 दिनांक 30.03.2015
अर्द्ध शा0पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-2ए(निर्देश)/2013 दिनांक 12.04.2013
अर्द्ध शा0पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-3(253)/2011 पार्ट-2 दि0 10.05.14

आप सहमत होगें कि इस प्रकार की घटनायें अत्यन्त निन्दनीय हैं और इन घटनाओं से पुलिस को न्यायपालिका, मीडिया एवं जनसामान्य की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और इससे पुलिस की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के घटित अपराधों की गुणवत्तापरक विवेचना से अपराधियों को मा0 न्यायालय से दण्डित किये जाने का प्रतिशत बढेगा साथ ही अपराधियों पर दबाव बढने के कारण अपराधों पर नियन्त्रण भी होगा।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो एवं ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कतिपय निर्देश अनुवर्ती प्रस्तरों में अनुपालनार्थ सुझाये जा रहे हैं:-

- इस प्रकार के अपराधों को रोकने हेतु उपलब्ध विधि व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जाये ताकि इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं पर प्रभावी नियन्त्रण सुनिश्चित किया जा सके।
- एसिड अटैक से पीड़ित को तत्काल समुचित चिकित्सा हेतु मेडिकल कॉलेजों, एसपीजीआई एवं अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों में उपचारार्थ भर्ती कराया जाये इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आप सभी को निर्देश दिये गये हैं।
- घटना में संलिप्त अपराधी की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करायी जाये एवं पंजीकृत अभियोग में गुण-दोष के आधार पर तत्परता से आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाये।
- जब भी तेजाब हमलों से घायल/पीड़ित द्वारा पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज करायी जाये तो सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में उपजिलामजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिनकी अधिकारिता में उक्त थाना स्थित है, को तत्काल अवगत करायेंगे व प्रकरण में अग्रेतर विधि सम्मत कार्यवाही करायेंगे।

Scanned by CamScanner

- इस प्रकार के अपराधों की प्रभावी पैरवी अपने निकट पर्यवेक्षण में कराये ताकि अपराधी को शीघ्रता से सजा दिलायी जा सके।
- एसिड अटैक से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत निर्देशों/शासनादेश का भली-भांति अध्ययन कर लें एवं जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर सभी पुलिस कर्मियों को इस प्रकार के घटित घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश से अवगत करा दें।
- एसिड अटैक पीड़िता को पूर्व निर्गत शासनादेश में वर्णित विधि व्यवस्थानुसार क्षतिपूर्ति हेतु अविलम्ब कार्यवाही की जाये।
- उ0प्र0 में तेजाब के विक्रताओं को तेजाब बिक्री हेतु शासन संख्या एससी-06(1)/छः-पु-9-13-31(90)/2010 दिनांक 16.10.2013 द्वारा विस्तृत निर्देश अनुपालनार्थ आप सभी को निर्गत किये गये है। उसका कठोरता से अनुपालन कराया जाये।
- तेजाब से हमला करने वाले अपराधी जब भी गिरफ्तार किये जाये उनसे इस बात की तस्दीक अवश्य कर ली जाये कि अपराधी द्वारा प्रयोग किया तेजाब कहाँ से प्राप्त किया गया है ताकि तेजाब जहाँ से प्राप्त किया गया उसके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों, कामकाजी महिलाओं के स्थानों एवं भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैण्डों, रेलवे स्टेशनों, सिनेमाघरों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानो पर सादे परिधानों में महिला एवं पुरूष आरक्षियों की डियूटी लगाई जाये और गस्त पैट्रोलिंग की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। ऐसा न करने पर जनपदीय पुलिस प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

9.4.19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner